

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 415/2011/जोधपुर.

मैसर्स जयमाता दी डिस्ट्रिब्यूटर्स, सरदारपुरा, जोधपुर.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर:प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1016/2011/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स जयमाता दी डिस्ट्रिब्यूटर्स, सरदारपुरा, जोधपुर.अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.बी.अग्रवाल, अभिभाषकअपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/5/2014

निर्णय

उपरोक्त अपील संख्या 415/2011 अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स जयमाता दी डिस्ट्रिब्यूटर्स, जोधपुर व क्रॉस अपील संख्या 1016/2011 अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 46/आरवेट/जेयूडी/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 9.2.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।



प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 01.11.2007 को किये जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा 'डिश एन्टेना, डिजिटल डिक्कोडर एवं एसेसरिज' पर 5 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित करते हुये विक्रय किया गया,

लगातार.....2

जबकि इनकी बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुये आलौच्य अवधि वर्ष 2004-05 के लिये अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 9.2.2009 पारित करते हुए डिजिटल डिकोडर की विवादित बिक्री रूपये 21,47,500/- एवं स्टॉक मय खर्च व लाभांश रूपये 2,28,075/- पर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 1,93,280/- ब्याज रूपये 1,20,430/- तथा अधिसूचित कर दर से कर अदा नहीं करने के कारण करापवंचन के लिये धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 4,63,194/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2010 से व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर एवं विभाग द्वारा शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर यह द्वितीय अपीलें पेश की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद सेट टॉप बॉक्स अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 की प्रविष्टि संख्या 58 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से विक्रय योग्य उत्पाद हैं। विद्वान अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि डिश एन्टेना का चुम्बक विद्युत चुम्बकीय तरंगो को आकर्षित कर उन्हें ध्वनि तरंगो के साथ सेट-टॉप बॉक्स के माध्यम से टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब को संप्रेषित (ट्रांसमिट) करता है। इस प्रकार सेट-टॉप बॉक्स डिश एन्टेना का ही दूसरा भाग है, जो विशिष्ट आवृत्ति (फ्रिक्वेयन्सी) की उच्च चुम्बकीय तरंगो को खण्डित कर टी.वी. की पिक्चर ट्यूब को ट्रांसमिट करता है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि डिश एन्टेना एक स्थाई चुम्बक के रूप में काम आने से अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 एवं 12.7.2004 अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने से तदनुसार ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये हैं।






लगातार.....3

विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर कथन किया गया कि व्यवहारी की समस्त विवादित बिक्री उनकी बहियात में दर्ज है एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्शायी गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति अविधिक होने से इसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तुत विभागीय अपील को अस्वीकार किया जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखने की सीमा तक अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए, धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि अधिसूचित कर दर से कम कर दर पर कर राशि का भुगतान करना, करापवंचन की श्रेणी में आता है, जिस पर अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति आरोपणीय है। अग्रिम कथन किया कि डिश-एन्टेना कम्यूनिकेशन सेटेलाईट से माइक्रोवेवज प्राप्त (रिसिव) करने का कार्य करती है, जबकि सेट-टॉप बॉक्स जिसे डिजिटल डिकोडर भी कहते हैं, माइक्रोवेवज को, जिनकी विशिष्ट आवृत्ति (Specific Frequency) होती है, चाहे अनुसार खण्डित कर टी.वी. की पिक्चर ट्यूब को ट्रांसमिट करता है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि डिश एन्टेना सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक 'डिश एन्टेना' जो सेटेलाईट से माइक्रोवेवज रिसिव करने का कार्य करता है तथा दूसरा भाग 'सेट-टॉप बाक्स' अर्थात् 'डिजिटल डिकोडर' जो इन प्राप्त माइक्रोवेवज को विशिष्ट आवृत्ति में चाहे अनुसार खण्डित कर टी.वी. की पिक्चर ट्यूब को ट्रांसमिट करता है जिससे टी.वी. पर सही प्रकार से दृश्य दिखायी दे सके। इस प्रकार डिश एन्टेना सिस्टम अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 की प्रविष्टि संख्या 49 एवं अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 की प्रविष्टि संख्या 58 के अन्तर्गत नहीं आने सामान्य दर से करदेयता बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय आदेश ने इसकी पुष्टि कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विवादित उत्पाद की बिक्री पर जानबूझकर अधिसूचित कर दर से कम कर दर पर कर उद्ग्रहीत करते हुये भुगतान कर करापवंचन किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण उचित प्रकार किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने त्रुटि की है।

उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।


प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार व्यवहारी ने आलौच्य अवधि में डिजिटल डिकोडर एवं एसेसरिज का क्रय करके विक्रय किया है एवं इसकी बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर राशि का भुगतान किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल पर सामान्य दर से करदेयता मानते हुए तदनुसार अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण किया है।


इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 935-937/2008; 1121-1123/2008; 1777-1780/2008 एवं 1783-1786/2008 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.4.2012 में अपीलार्थी व्यवहारी स्वयं एवं अन्य व्यवहारियों के इन्हीं उत्पादों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए यह अवधारित किया है कि डिजिटल डिकोडर एवं सेट टॉप बॉक्स एक ही उत्पाद के दो नाम हैं। सेट टॉप बॉक्स राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 से 5 प्रतिशत कर योग्य हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 12.7.2004 के पश्चात भी सेट टॉप बॉक्स को डिजिटल डिकोडर से भिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की श्रेणी में मानकर 14 प्रतिशत से कर आरोपित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के उक्त निर्णय के आलोक में सेट टॉप बॉक्स व डिजिटल डिकोडर एक ही उत्पाद के दो नाम होने के कारण दिनांक 12.7.2004 के पश्चात 5 प्रतिशत से करयोग्य है, जिसमें एसेसरिज भी शामिल है। अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 की प्रविष्टि संख्या 58 उद्धरित की जाना उचित होगी -

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)
58.	All types of computers, computer printers, CVT, UPS, Set Top Boxes and computer-software including parts and accessories thereof.	5

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल पर 14 प्रतिशत की करदेयता मानते हुए तदनुसार 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी _____

_____ द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।






लगातार.....5


—: 5 :- 1-2. अपील संख्या – 415/2011 व 1016/2011/जोधपुर.

इसी प्रकार जब विवादित माल पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज ही अपास्तनीय है, तो अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति स्वतः समाप्त हो जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील संख्या 415/2011 स्वीकार की जाती है तथा राजस्व द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील संख्या 1016/2011 अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य


(जे/आर. लोहिया)
सदस्य
24/5/14